

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत \_\_\_\_\_ मुखण्ड अधिकारी \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_ मुखण्ड अधिकारी \_\_\_\_\_  
 इंगला उदयगज्ज बनाम इंगला इयसल्ल

किस्म मुकदमा प्राथमिक घन्गति चारा 212 सं. 8/2018 सन् \_\_\_\_\_

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.1.25	<p>पत्रावली पैत्रा इडि। वकील उभय पक्ष उपरिखल। वकील उभय पक्ष की बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन परीक्षण उपरान्त पत्रावली का प्राथमिक चारा 212 चारु धीरे से स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि भौजा इंगला पत्वार माडल इंगला के खाला संख्या 52 में वर्णित आराजी नम्बर 360 रुकबा 1.0800 है। भूमि पत्रावली की खालेदारी की है। जिस पर विपरीत संख्या 1 व 2 किसी भी भू. भाग पर कब्जा नहीं करें। पत्रावली के उपयोग उपयोग के बाधा पैदा नही करे, प्राथमिक उपयोग उपयोग पत्रावली को करने देवे। निपरी सुनाया गया। पत्रावली के सबूत डेक नाल से कम से।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी इंगला</p>	

